राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2727/2015

नेतराम यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर जोन जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गून्ती, तहसील बहरोड़, जिला अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.05.2024

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी दिनांक 07.09.2015 एवं 08.09.2015 को अपने साले की गंभीर बीमारी के कारण अवकाश पर रहा था, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने सूचना भी प्रधानाचार्य को प्रेषित की थी, परन्तु दिनांक 07.09.2015 एवं 08.09.2015 का सी एल अवकाश अपीलार्थी को स्वीकृत नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को दिनांक 07.09.2015 एवं 08.09.2015 का सी एल अवकाश स्वीकृत किया जाए एवं अपीलार्थी की सेवाएं निरन्तर मानी जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी बिना अवकाश प्रार्थना पत्र के अनुपस्थित रहा है। मुख्यालय छोडने से पहले अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस भी दिया गया है।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम पाते है कि अपीलार्थी ने केवल 2 दिन के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की है। उक्त प्रकरण 9 वर्ष पूर्व का है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी स्थायी रूप से निशक्त व्यक्ति है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी को दिनांक 07.09.2015 एवं 08.09.2015 (दो दिवस) का अवकाश उसके खाते में शेष सीएल अथवा अन्य किसी अवकाश से स्वीकृत कर अपीलार्थी की सेवाएं लगातार मानते हुए अपीलार्थी को लाभ प्रदान करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)